GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256 **Email:** mails@epch.com

Fax: 91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

PRESS RELEASE

DGFT announces extension of FTP till 31st March 2021
MEIS also gets extension
EPCH contributes Rs 25 Lakh to PM CARE Fund, EPCH staff also pitch in

New Delhi - In order to provide relief to the handicrafts exporters and help them withstand the challenges posed by the current crisis, various representations received from exporters and different handicraft Association from across the country were represented by the EPCH at the highest level including Ministry of finance, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Textiles. The council also had two video conference meetings with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce & Industry, informed Shri Rakesh Kumar, Director General – EPCH

Shri Kumar further informed that Government of India taking cognizance of the EPCH's representations have extended the FTP 2015-2020 by one year till 31st March 2021, hence giving extension to all the schemes including MEIS under the FTP.

The extension by implication means continuation of all following schemes in the Foreign Trade Policy:-

- DGFT has extended the Foreign Trade Policy 2015-2020 and the Hand book of Procedure 2015-2020 from 31.3.2020 to 31.3.2021.
- All schemes in the Foreign Trade Policy including MEIS, Advance Authorisation, DFIA , EPCG, EOU, Deemed Export etc extended till 31st March 2021.
- MEIS shipment with Let Export Order date falling between 1st Feb -31st May 2019, the applications can be filed within 15 months as against the normal time limit of 12 months.
- The validity of all Status Holder certificates extended till 30th June, 2020.
- Advance Authorization - where validity of authorization or Export Obligation period is expiring between 1st Feb to 31st July 2020, the period of validity or Export Obligation is automatically extended by six months from the date of expiry.
- DFIA Authorisation - where validity of authorization is expiring between 1st Feb to 31st July 2020, the period of validity is automatically extended by six months from the date of expiry.
- EPCG Authorisation - where validity of authorization is expiring between 1st Feb to 31st July 2020, the period of validity is automatically extended by six months from the date of expiry .
- It has been decided that the regional authorities of DGFT will not insist on valid RCMC issued by EPC's (in cases where the same has expired on or before 31 March 2020) for the applicants for any incentives / authorizations till 30 September 2020.

Shri Kumar said that the steps taken by Govt. of India in these difficult times to rescue the Exporters will surely boost the morale of the handicrafts exporting community and he hoped that such initiatives will help everyone sail through this crisis. Adding further, Shri Kumar said that EPCH has made a contribution of Rs. 25 lakhs towards the PM CARE Fund and the staff in the EPCH is separately contributing one day salary in the Fund and urged the exporting community to come forward and contribute and help the Government fight this pandemic to provide security to the poor and needy.

For more information, please contact :
Shri Rakesh Kumar, Director General – EPCH - +91-9818272171

GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256 **Email:** mails@epch.com

Fax: 91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

प्रेस विज्ञप्ति

डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2021 तक विस्तार देने की घोषणा की
एमईआईएस को भी मिला विस्तार
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने पीएम केयर फंड में 25 लाख का अंशदान दिया, परिषद के कर्मचारियों ने भी एक दिन का वेतन दिया

नई दिल्ली– हस्तशिल्प निर्यातकों की मदद करने एवं और वर्तमान संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भर के निर्यातकों और हस्तशिल्प संगठनों ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को प्रत्यावेदन भेजे. परिषद ने वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग एवं कपड़ा मंत्रालय समेत सर्वोच्च स्तर पर इन प्रत्यावेदनों को पहुंचाया. ईपीसीएच के महानिदेशक श्री राकेश कुमार ने बताया कि इन चिंताओं को लेकर परिषद ने माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग श्री पीयूष गोयल से दो वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग भी की.

श्री कुमार ने आगे बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के प्रत्यावेदनों पर संज्ञान लेते हुए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को एक साल के लिए 31 मार्च 2021 तक विस्तार दे दिया है. इसके साथ ही विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) समेत सभी योजनाओं को विस्तार मिल गया है.

इस विस्तार के जरिए विदेश व्यापार नीति की सभी निम्नलिखित योजनाएं इस अवधि तक जारी रहेंगी:-

- डीजीएफटी (महानिदेशक विदेश व्यापार) ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2015-2020 को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक विस्तार दे दिया है.
- विदेश व्यापार नीति की एमईआईएस, एडवांस आथराइजेशन, डीएफआईए, ईपीसीजी, डीम्ड एक्सपोर्ट समेत सभी योजनाओं को 31 मार्च 2021 तक विस्तार मिल गया है.
- एमईआईएस के ऐसे शिपमेंट जिनके लेट निर्यात आर्डर 1 फरवरी से 31 मई 2019 तक के हैं, अब उनके एप्लीकेशन भरने के लिए 15 महीने का समय दिया जा रहा है. सामान्य समय सीमा 12 महीने की थी.
- स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है.
- अग्रिम प्राधिकार (एडवांस ऑथराइजेशन) - जहां प्राधिकार की वैधता या एक्सपोर्ट ऑबलिगेशन सीमा 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा.
- डीएफआईए ऑथराइजेशन - जहां प्राधिकार की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा.
- ईपीसीजी ऑथराइजेशन - जहां प्राधिकार की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो रही थी उन्हें समयसीमा से छह महीने का विस्तार अब स्वतः ही मिल जाएगा.
- यह भी निर्णय लिया गया है कि महानिदेशक विदेश व्यापार यानी डीजीएफटी के आंचलिक प्राधिकरण भी 30 सितंबर 2020 तक किसी इंसेंटिव या प्राधिकार के लिए आवेदकों से अब ईपीसी द्वारा जारी वैध आरसीएमसी पर जोर नहीं देंगे (उन मामलों में जहां पर वैधता 31 मार्च या इससे पहले समाप्त हो रही है).

श्री कुमार ने कहा कि निर्यातकों को संकट के समय राहत पहुंचाने वाले भारत सरकार के इन कदमों से हस्तशिल्प निर्यातक समुदाय का मनोबल बढ़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की पहल से संकट के समय फंसे लोगों को राहत मिलेगी और वो अपना विस्तार कर सकेंगे.

श्री कुमार ने आगे बताया कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने पीएम केयर फंड में 25 लाख रुपये का अंशदान किया है. इसके साथ ही ईपीसीएच के कर्मचारियों ने अपना एक दिन के वेतन का भी इस फंड में योगदान किया है जिससे भारत सरकार इस महामारी में गरीब और जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सहायता दे सके.

ज्यादा जानकारी हेतु, संपर्क करें:
श्री राकेश कुमार, महानिदेशक, ईपीसीएच - +91-9818272171